अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No - 02 / 1997-98

परमेश्वर उरांव एवं अन्य

बनाम

रेशमी देवी एवं अन्य

11/03/2023

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता द्वारा विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के म्युटेशन केश नं0–87 / 1992–93 मुन्ना उरॉव, बनाम् रैयान मौजा–मेहरमा के दिनांक–08.07.1994 एवं 01.08.1995 को पारित आदेश के विरूद्ध श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया जो दिनांक–19.09.1998 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहंस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख करते है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी ने गलत आदेश पारित किये है जो न्यायसंगत नही है। उनका आगे कथन है कि श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को दिनांक–02.10.1990 से नामांतरण करने का अधिकार समाप्त हो गया था जबकि विषयगत केस में दिनांक–08.07.1994 को आदेश पारित किया गया है। इसलिए उनके द्वारा दिनांक–08.07.1994 को पारित आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि Collusive कौल्युसिभ टाईटल सूट में रेमेन्यु कोर्ट हस्तक्षेप नही कर सकता है। इसलिए श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा पारित आदेश गलत तथा न्याय संगत नही है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जमाबंदी रैयत की पुत्री मो0 नगिया देवी एवं उत्तरवादी नं0–01 के पिता–सीता उरांव के बीच प्रसांगिक भूमि को लेकर विवाद चला था जिसमें मो0 नगिया देवी ने प्रतिवादी सीता उरांव के दखल–कब्जा को स्वीकार किया है तथा आपसी समझौता के आधार पर यह वाद दिनांक–19.12.19964 को खारिज किया गया तथा मो0 नगिया देवी ने उत्तरवादी के पता के टाईटल कब्जा को स्वीकार किया है जिसमें रकवा 03-11-01 धूर जमीन उत्तरवादी नं0–01 के दखल–कब्जा में है तथा शांतिपूर्वक जोत आवाद करते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष सरकार को मालगुजारी भुगतान कर मालगुजारी प्राप्त करते आ रहे है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उत्तरवादी नं0–01 मुन्ना उरांव ने मौजा–मेहरमा नं0–18, जमाबंदी नं0–67 के अन्दर दाग नं0–327, 334, 335, 339, 635 एवं 654 कुल रकवा 03-11-01 धूर भूमि का नामांतरण हेतु श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दिया जिसका म्युटेशन केस नं0–87 / 1992–93 है जिसके आलोक में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, मेहरमा से प्रतिवेदन की मांग करते हुए 16–आना रैयतो को अनापत्ति नोटिश का तामिला कराया गया। उक्त नामांतरण वाद में 16–आना रैयत के नोटिश का तामिला प्रतिवेदन

प्राप्त है तथा अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन भी संलग्न है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मेहरमा, थाना नं0–18, जमाबंदी नं0–67 गत सर्वे खतियान में भत्तु धांगड़ वो शिबु धांगड़ वो टुनी धांगड़ वल्द लालू धांगड़ वो देवकी धांगड़ वल्द बनवारी धांगड़ के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत टुनी धांगड़ को कोई पुत्र नही था उनकी पुत्री नगिया देवी द्वारा अपना पैतृक भूमि रकवा 04-01-02 धूर जमीन की प्राप्ति हेतु रा0सूट नं0–30 / 1964 में आपीस समझौता के अनुरूप कुल रकवा 04-01-02 धूर जमीन के अन्तर्गत प्रतिवेदित दाग पर 03-11-01 धूर जमीन उत्तरवादी नं0–01 मुन्ना उरांव के दखल में है जिसे उत्तरवादी नं0–01 के द्वारा जोत आवाद किया जाता है। अतः इनके नाम दाखिल–खारिज किया जा सकता है। श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी ने नामांतरण के पूर्व 16 आना रैयतों को नोटिश देकर सूचित किया था कि अगर नामांतरण में किसी को आपत्ति हो तो दिनांक 05.12.1992 को शिविर न्यायालय, मेहरमा में आपत्ति दे सकते है लेकिन किसी के तरफ से कोई आपत्ति नही दिया गया। दिनांक–08.07.1994 को विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा उभय पक्षों के बहस सुनने के पश्चात् तथा श्रीमान अंचलाधिकारी, मेहराम के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 672 / रा0 दिनांक–23.10.1992 से संतुष्ट होने के उपरांत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी संख्या–01 मुन्ना उरांव के पक्ष में मौजा– मेहरमा नं0–18, जमाबंदी नं0–67 के अन्दर दाग नं0–327, 334, 335, 339, 635 एवं 654 कुल रकवा 03-11-01 धूर भूमि का नामांतरण आदेश पारित किया गया तथा दिनांक–01.08.1995 को शुद्धिपत्र उपस्थापित किया गया। विषयगत भूमि पर उत्तरवादी नं0–01 का दखल–कब्जा है जिसपर जोत–आवाद किया जाता है। जबकि अपीलकर्त्ता को उक्त मौजा के विषयगत भूमि से कोई सरोकार नही है सिर्फ उत्तरवादी नं0–01 मुन्ना उरांव को परेशान करने की नियत से वर्त्तमान अपीलवाद दायर किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का आदेश की तारिख 08.07.1994 है लेकिन वर्त्तमान अपील दिनांक–20.01.1998 को लगभग 04 (चार) वर्ष विलम्ब से दायर किया गया है इस कारण अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन कालवाधित है जो स्वीकार्य एवं चलने योग्य नही है। आगे उल्लेख करते हुए कहते है कि निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतः न्यायसंगत है अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता का वर्त्तमान अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है। वाद प्रक्रिया के दौरान उत्तरवादी नं0–01 मुन्ना उरांव की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर उनकी पत्नी रेशमी दवी एवं उनके दोनो पुत्र क्रमशः (1) बसंत उरांव एवं सीता उरांव को उत्तरवादी नं0–01 का प्रति पक्षकार बनाया गया। साथ ही उक्त अपील में अपीलकर्त्ता सहदेव उरांव की भी मृत्यु हो जाने के कारण उनके दोनो पुत्र (1) परमेश्वर उरांव एवं (2) श्रीपति उरांव को उनके प्रतिस्तानी पक्षकार बनाया गया है।

अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No - 02 / 1997-98

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रविदन पत्रांक–672 / रा0 दिनांक–23.10.1992 से स्पष्ट होता है कि मौजा– मेहरमा नं0–18, जमाबंदी नं0–67 के अन्दर दाग नं0–327, 334, 335, 339, 635 एवं 654 कुल रकवा 03-11-01 धूर भूमि पर उत्तरवादी नं0–01 मुन्ना उरांव के पक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दिनांक–08.07.1994 को नामांतरण आदेश पारित किये है। उक्त नामांतरण आदेश को खारिज करने हेतु अपील दायर किया गया है लेकिन अपीलकर्त्ता के तरफ से अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस कागजात न्यायालय में दाखिल नही किया गया है। वर्त्तमान अपीलवाद में अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय से भिन्न कोई अन्य तथ्य नही लाया गया है ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नही है एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश पूर्णत न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का म्युटेशन केस नं0–87 / 1992–93 में दिनांक–08.07.1994 एवं 01.08.1995 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए आवेदक का वर्त्तमान अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

1.3.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

1.3.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.08.05 13:07:55 +05:30
Location: 192.168.1.35